नवोदय विद्यालय समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग का एक स्वायत्त संस्थान, भारत सरकार)
एम.एस.एफ.सी. भवन, सेनापती बापट रोड,
पुणे - 411 016.

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI, PUNE REGION
(An Autonomous Organisation under Ministry of HRD
Dept. of School Edu. & Literacy, Govt. of India)
MSFC Bhavan, 2nd Floor, B-Wing,
Senapati Bapat Road, **Pune – 411 016.**

website : www.nvsropune.gov.in E-mail : nvsropune@rediffmail.com
Tel.No.020-25673683 / 84, 25662702 / 3/ 4, Fax No.020-25673731

फाइल संख्या-3-125-नविस(पु.सं.)/2016-17/स्कुल-प्रशा./ 113

दिनांक: 14.07.2016

प्रति,

सभी प्राचार्य,
नविस पुणे संभाग के अतर्गत
सभी जवाहर नवोदय विद्यालय

विषय: अभिभावक शिक्षक परिषद के लक्ष्य एवं उद्देशों, संघटन तथा कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना करने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ: नविस, मुख्यालय का दिनांक 27.06.2016, पत्र सं-अ.शा.प.स.7-6/2015/-नविस(वि.प्र)178-188

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ के अनुसार आपसे अनुरोध किया जाता है कि समिति द्वारा दिनांक 28.08.2002 को परिपत्रक के माध्यम से अभिभावक शिक्षक परिषद के लक्ष्य एवं उद्देश्यों, संघटन तथा कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देशों दिए गए थे जिनकी अनुपालना करें। समिति द्वारा दिनांक 23.07.2015 के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि अभिभावकों से किसी तरीके से या परोक्ष रूप से कोइ पैसा न लिया जाए। इन दिशा-निर्देशों के बावजूद अभिभावकों की शिकायते आ रही है। इस पत्र के द्वारा प्राचार्यों को निर्देश दिया जाता है कि रोकड काउंटर पर हिन्दी, अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषा में लिखा होना चाहिए कि " विद्यालय शुल्क के अलावा कोषाध्यक्ष (कैशियर) को किसी भी राशि का भुगतान न किया जाए।" एवं इस सम्बन्ध में विद्यालय की वेबसाईट पर भी सूचना प्रसारित की जाए।

भवदीय,

राम चरण 14/7/16
उपायुक्त प्रभारी

प्रतिलिपि,

1. कार्यालय प्रतिलिपि, नविस, पुणे संभाग, पुणे-16
2. शैक्षणिक खण्ड ।
3. सहायक आयुक्त/ संकुल प्रभारी, नविस, पुणे संभाग- इस निवेदन के साथ कि अभिभावक शिक्षक परिषद (पी.टी.सी.) की संरचना, बैठकों का नियमित आयोजन तथा इसकी टिप्पणीयों एवं अनुशंसा पर निगरानी रखें । यदि अभिभावकों से धनराशि लेने का कोई भी मामला सामने आता है तो इसके दस्तावेजी साक्ष्यों सहित तत्काल संभागीय कार्यालय के संज्ञान में लाये ताकि वांछित आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

समस्त स्टाफ को सूचनार्थ
25/7/16

विश्वजीत कुमार सिंह, भा.व.से.
आयुक्त
Biswajit Kumar Singh, IFS
Commissioner

नवोदय विद्यालय समिति
Navodaya Vidyalaya Samiti
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
Ministry of Human Resource Development
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)
(Deptt. of School Education & Literacy)
भारत सरकार/Government of India

62
4/7/16

अ.शा.प.सं. 7-6/2015/न.वि.स.(वि.प्रशा.)/178-788
दिनांक 21.06.2016

प्रिय प्राचार्य,

समिति ने परिपत्र दिनांक 28.8.2002 के माध्यम से अभिभावक शिक्षक परिषद के लक्ष्य एवं उदेदश्यों, संधटन तथा कार्यो के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। समिति ने दिनांक 23.07.2015 को एक और परिपत्र इस निर्देश के साथ जारी किया है कि अभिभावकों से किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से कोई भी पैंसा न लिया जाए। इन स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद भी कुछ अभिभावकों से शिकायतें मिल रही हैं ।

प्राचार्यो को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे अभिभावकों से धनराशि की उगाही में शामिल होने से बचें। किसी भी स्थिति में शिक्षकों, प्राचार्यो और कर्मचारियों द्वारा अभिभावकों से कोई भी धनराशि वसूली/स्वीकार नहीं की जाएगी। रोकड़ काउंटर पर हिंदी / अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषा में लिखा होना चाहिए कि 'विद्यालय शुल्क के अलावा कोषाध्यक्ष (कैशियर) को किसी भी राशि का भुगतान न किया जाए'। आगे, इस संबंध में विद्यालय की वेबसाइट पर भी एक सूचना डाली जाए ।

वि. प्र. तुरन्त कार्यवाही

भवदीय,

(विश्वजीत कुमार सिंह)

प्राचार्य,
सभी जवाहर नवोदय विद्यालय

प्रतिलिपिः

1 सहायक आयुक्त/संकुल प्रभारी सभी संभाग - इस निवेदन के साथ कि अभिभावक -शिक्षक परिषद (पी.टी.सी.) की संरचना, बैठकों का नियमित आयोजन तथा इसकी टिप्पणियों एवं अनुशंसा पर निगरानी रखें। यदि अभिभावकों से धनराशि लेने का कोई भी मामला सामने आता है तो इसके दस्तावेजी साक्ष्यों सहित तत्काल मुख्यालय के संज्ञान में लायें ताकि वांछित आवश्यक कार्रवाई की जा सके ।

2 उपायुक्त, नविस, सभी संभागीय कार्यालय - आवश्यक अनुपालन हेतु ।